# ग्राम पंचायत लोहारा, विकास खण्ड फतेहपुर जिला काँगड़ा, हि• प्र• –176053 के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

## अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023

## भाग–एक

1. **(क)प्रस्तावना**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत लोहारा, विकास खण्ड फतेहपुर, जिला काँगड़ा हि0 प्र0 के अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

**अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे :–**

**प्रधान:–**

| क्र•स• | नाम | अवधि |
|---|---|---|
| 1 | श्री नरजीव सिंह | 01.04.2021 से 31.03.2023 |

**सचिव :–**

| क्र•स• | नाम | अवधि |
|---|---|---|
| 1. | श्रीमती शीतला देवी | 01.04.2021 से 15.07.2022 |
| 2 | श्री जोगिन्द्र सिंह | 16.07.2022 से 31.03.2023 |

तकनीकी सहायक :–

| क्र॰स॰ | नाम | अवधि |
|---|---|---|
| 1 | श्री अनिल कुमार | 01.04.2021 से 31.03.2023 |

ग्राम रोजगार सहायक :–

| क्र॰स॰ | नाम | अवधि |
|---|---|---|
| 1 | श्री मदन कुमार | 01.04.2021 से 31.03.2023 |

**(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–**

ग्राम पंचायत लोहारा के अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:–

| क्र0 सं0 | पैरा सं॰ | अनियमितता का संक्षिप्त सार | राशि (₹ लाखों में) |
|---|---|---|---|
| 1 | 6.1 | अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना | 27.33 |
| 2 | 7.1 | पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना | 0.05 |
| 3 | 7.2 | विवाह पंजीकरण शुल्क का वसूली हेतु शेष पाया जाना | 0.05 |
| 4 | 8.1 | क्रय किये गये सामान की स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत दर्ज न करना। | 2.28 |
| 5 | 8.2 | औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक का क्रय करना | 2.10 |
| 6 | 8.3 | खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रॉयल्टी की कटौती न करना | 0.43 |
| 7 | 9 | माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करना | 7.93 |

## (ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः—

हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा ग्राम पंचायत लोहारा का गत अंकेक्षण अवधि 01/04/2013 से 31/03/2016 तथा 01.04.2018 से 31.03.2019 के लिये किया गया था। गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों पर कार्यवाही करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या—33 दिनांक 17.01.2024 द्वारा अनिर्णीत पैरों पर कार्यवाही करते हुए केवल 8 पैरो की अनुपालना का सत्यापन करवाया गया तथा शेष 22 पैरो के निस्तारण हेतु किसी प्रकार का प्रयास नहीं किया गया है। यह अति गम्भीर चूक है, जोकि संस्था की अंकेक्षण के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करती है। अतः प्राथमिकता के आधार पर गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष 22 पैरों के साथ—साथ वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपित आपतियो पर भी अनुपालना सुनिश्चित करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये। वर्तमान अंकेक्षण उपरान्त अनिर्णीत पैरो की स्थिति निम्न प्रकार से हैः—

### (क) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/04/2013 से 31/03/2016 तक

| क्र0सं0 | पैरा सं0 | निर्णीत/अनिर्णीत | अनुपालना का संक्षिप्त विवरण |
|---|---|---|---|
| 1. | 5 | अनिर्णीत | — |
| 2. | 7 | अनिर्णीत | — |
| 3. | 8 | अनिर्णीत | — |
| 4. | 9 | अनिर्णीत | — |
| 5. | 10 | अनिर्णीत | |
| 6 | 11 | अनिर्णीत | — |
| 7 | 12 | अनिर्णीत | — |
| 8 | 13 | अनिर्णीत | — |
| 9 | 14 | अनिर्णीत | — |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10 | 15 | अनिर्णीत | — |
| 11 | 16 | अनिर्णीत | — |
| 12 | 17 | अनिर्णीत | — |

## (ख) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/04/2018 से 31/03/2019 तक

| क्र0सं0 | पैरा सं0 | निर्णीत/अनिर्णीत | अनुपालना का संक्षिप्त विवरण |
|---|---|---|---|
| 1. | 3 | निर्णीत | अंकेक्षण शुल्क प्राप्ति की पुष्टि उपरान्त । |
| 2. | 4.1 | अनिर्णीत | — |
| 3. | 5 | अनिर्णीत | — |
| 4. | 6 | निर्णीत | वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनःप्रारूपित कर दिया गया है। |
| 5. | 7 | अनिर्णीत | — |
| 6 | 8 | अनिर्णीत | — |
| 7 | 9 | अनिर्णीत | — |
| 8 | 10 | अनिर्णीत | — |
| 9 | 11 | निर्णीत | वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित किया गया है |
| 10 | 12 | अनिर्णीत | — |
| 11 | 13 | अनिर्णीत | — |
| 12 | 14 | अनिर्णीत | — |
| 13 | 15 | अनिर्णीत | — |
| 14 | 16 | निर्णीत | वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनःप्रारूपित कर दिया गया है। |
| 15 | 17 | निर्णीत | वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनःप्रारूपित कर दिया गया है। |
| 16 | 18.1 से 18.3 | निर्णीत | वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनःप्रारूपित कर दिया गया है। |

## भाग—दो

**2. वर्तमान अंकेक्षणः—**

ग्राम पंचायत लोहारा के अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री प्रवीन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 14.02.2024 से 27.02.2024 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। आय व्यय की विस्तृत जाँच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्वः स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गयाः—

| वर्ष | आय | व्यय |
|---|---|---|
| 2021—22 | 03/2022 | 03/2022 |
| 2022—23 | 03/2023 | 05/2022 |

**अस्वीकरणः—वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।**

**3. अंकेक्षण शुल्कः—**

ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹4800/— आंका गया है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला—171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा/अ.वृ.का./2024/—89 दिनांक 27.02.2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया। सचिव द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि

को काँगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक फतेहपुर के मल्टीसिटी चैक संख्या 627967 दिनांक 13.03.2024 द्वारा निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग को भेज दी गई है।

## 4.1 (क).वित्तीय स्थितिः—

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ.वृ.का./2023/–76 दिनांकः 14.02.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1** में भी दिया गया हैः–

1.स्वः–स्त्रोतः–

| अवधि | अथशेष (₹) | प्राप्ति (₹) | योग (कॉलम 2+3) | व्यय (₹) | अन्तशेष (₹) (कॉलम 4–5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2021-22 | 381974.50 | 869324.00 | 1251298.50 | 288720.00 | 962578.50 |
| 2022-23 | 962578.50 | 854982.00 | 1817560.50 | 733390.00 | 1084170.50 |

2.अनुदानः–

| अवधि | अथशेष (₹) | प्राप्ति (₹) | योग (₹) (कॉलम 2+3) | व्यय (₹) | अन्तशेष (₹) (कॉलम 4–5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2021-22 | 956821.78 | 1992104.00 | 2948925.78 | 1078449.78 | 1870476.00 |
| 2022-23 | 1870476.00 | 6159199.50 | 8029675.50 | 5296543.50 | 2733132.00 |

**कुल योग** (1+2) 1084170.50 +2733132.00 =**3817302.50**

## (ख). बैंक समाधान विवरणीः–

ग्राम पंचायत की दिनांक 31.03.2023 को रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति से **₹38,17,302.50** तथा बैंक खातों/हस्तगत राशि के अन्तशेष **₹38,17,302.50** से सम्बन्धित बैंक समाधान विवरणी निम्नानुसार हैः–

| | बैंक खातों की विवरणीः– | | | |
|---|---|---|---|---|
| क्र0 सं0 | विवरण | बैंक | खाता | अन्त शेष (₹) |
| 1 | स्वःस्त्रोत/5वां | का•के•सह•बैंक फतेहपुर | 20028012631 | 1083562.50 |
| 2 | टी•एस•सी | का•के•सह•बैंक फतेहपुर | 50052203463 | 0 |
| 3 | एम•पी•लेड | का•के•सह•बैंक फतेहपुर | 50052203292 | 9047 |
| 4 | वी•के•वी•एन•वाई | का•के•सह•बैंक फतेहपुर | 50052203258 | 284208 |
| 5 | एस•डी•पी | का•के•सह•बैंक फतेहपुर | 50052203452 | 48562 |
| 6 | जी•आर•डी•वाई | का•के•सह•बैंक फतेहपुर | 50052203305 | 13 |
| 7 | 13वाँ वित्तायोग | का•के•सह•बैंक फतेहपुर | 50052203441 | 0 |
| 8 | 14वाँ वित्तायोग | का•के•सह•बैंक फतेहपुर | 50063013152 | 0 |
| 9 | 15वाँ वित्तायोग | का•के•सह•बैंक फतेहपुर | 50071874554 | 2391302 |
| 10 | हस्तगत शेष | | | 608 |
| बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2023 का कुल योग | | | | ₹3817302.50 |
| दिनांक 31.03.2023 को बैंक समाधान विवरणी | | | | |
| रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति के अनुसार (पैरा 4) अन्तशेष | | | | ₹3817302.50 |
| पंचायत के बैंक खातों का दिनांक 31.03.2023 का अन्तशेष | | | | ₹3817302.50 |
| अन्तर | | | | शून्य |

## (ग) लेखा खाता /खाताबही तैयार न करनाः–

हि• प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 29(1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप–7 में लेखा खाता/खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अंकेक्षण अवधि की खाताबही/लेखा खाते तैयार नहीं किए गए थे। अंकेक्षण अवधि की खाताबही/लेखा खाते तैयार न करने के कारण वर्तमान अंकेक्षण के दौरान इस तथ्य की पुष्टि सम्भव न हो सकी कि किस–किस कार्य हेतु

कितनी–कितनी राशि प्राप्त हुई व किस–किस कार्य पर कितना–कितना व्यय हुआ है तथा किस कार्य को पूरा किया जा चुका है। यह एक गम्भीर अनियमितता है। इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/88 दिनांकः 27.02.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–01 दिनांक 27.02.2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि वर्तमान समय से खाताबही/लेखा खाते तैयार किये जा रहे है। प्रस्तुत उत्तर तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया ।

अतः अंकेक्षण अवधि की खाताबही/लेखा खाते तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अंकेक्षण अवधि की खाताबही/लेखा खाते तैयार करते हुए भविष्य में भी खाताबही/लेखा खाते तैयार किये जाने सुनिश्चित किये जाये व कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

**(घ) खाता–क व खाता–ख का रख–रखाव अलग–अलग न रखनाः–**

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई सहिंता संख्या 01 से 50 में वर्णित आय पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत माने जायेंगे और ऐसी आय के लिये पंचायत निधि खाता–क खोला जायेगा। इसी तरह नियम 3 में दर्शाई सहिंता संख्या 51 से 99 में वर्णित आय सहायता अनुदान विशेष प्रयोजनो के लिये आबंटित निधियां और प्राप्त ऋण हेतु खाता–ख खोला जायेगा। इसके अतिरिक्त निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी.सी.एच–एच.ए (5) सी (15) –(13) (एल) 5–47005–81 दिनांक 15.02.2012 के अनुसार स्कीम वाईज खाते खोले जाने का प्रावधान है। ग्राम पंचायत लोहारा द्वारा स्वयं स्त्रोत व अनुदान राशि का खाता–क व खाता–ख अलग अलग से तैयार नहीं किया गया था बल्कि स्वः स्त्रोत व अनुदानो जैसे कि 5वां वित इत्यादि की सयुंक्त रोकड़ बही लगाई गई थी तथा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार स्वः स्त्रोत, पांचवा वित्त आदि शीर्षो के अन्तर्गत नियमों एवं निर्देशो के विरूद्ध खाता संख्या 20028012631 में ही

प्राप्त अनुदानों को जमा किया गया तथा इससे ही व्यय किया गया था, जो पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है, जोकि नियमों के विपरीत है। इस अनियमितता के कारण किसी व्यय के दो बार भुगतान होने तथा धन के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नही किया जा सकता।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/88 दिनांकः 27.02.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 01 दिनांक 27.02.2024 द्वारा दिया गया उत्तर कि भविष्य में खाता–क व खाता–ख का अलग–अलग अनुसंधारण कर दिया जायेगा।

अतः नियमानुसार रोकड़ बही एवं बैंक खातों का निर्देशानुसार रख–रखाव न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में खाता–क व खाता–ख के अनुरूप रोकड़ बही एवं बैंक खातों का निर्देशानुसार रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

## 5 निवेश न करने बारेः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियो को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है कि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना में अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था। जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के निधि खाते में अंकेक्षणावधि के दौरान ₹3,81,974.50 से ₹1084171 तक की राशि शेष थी। इस चूक के कारण संसाधनो की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा है।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/88 दिनांकः–27.02.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–01 दिनांक 27.02.2024 द्वारा भविष्य में अनुपालना का आश्वासन दिया है।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 12 (1) के अंतर्गत उल्लेखित प्रारूप–1 के अनुसार निवेश रजिस्टर का संधारण किया जाना भी सुनिश्चित किया जाये।

## 6.1 अनुदान की राशि ₹27.33 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जानाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशियों को फंडिग एजेन्सी की अपेक्षाओं एवं मार्गदर्शन अनुसार निर्धारित उद्देश्य हेतु व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2023/–76 दिनांकः–14.02.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत सूचना जो कि **परिशिष्ट–1** व **परिशिष्ट–2** पर संलग्न है, के अनुसार दिनांक 31–03–2023 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹27,33,132/– की राशि उपयोग हेतु शेष थीः–

| क्र0सं0 | अनुदान का नाम | दिनांक | राशि (₹) |
|---|---|---|---|
| 1. | एम.पी.लेड | 31.03.2023 | 9047 |
| 2. | वी.के.वाई.एन.वाई | 31.03.2023 | 284208 |
| 3. | एस.डी.पी | 31.03.2023 | 48562 |
| 4. | जी.आर.डी.वाई | 31.03.2023 | 13 |
| 5. | 15वाँ वित्तायोग | 31.03.2023 | 2391302 |
| | | **कुल जोड** | **₹2733132** |

उपरोक्त तथ्य स्पष्ट करते हैं कि उक्त शीर्षो के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यो का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने से यह पंचायत पीछे है। इस राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/82 दिनांकः 26.02.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–01 दिनांक 27.02.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि शेष अनुदान राशि की सक्षम अधिकारी से स्वीकृति लेकर उपयोग कर लिया जायेगा ।

अतः अनुदान राशि को अंकेक्षण अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को नियमानुसार निर्धारित उद्देश्य हेतु व्यय करना सुनिश्चित किया जाए तथा तदानुसार कृत अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाये।

## 6.2 अनुदान रजिस्टर का रख–रखाव न करना :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 61(1) के अंतर्गत उल्लेखित फार्म 21 के अनुसार अनुदान रजिस्टर का संधारण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा अनुदान रजिस्टर का रख–रखाव नहीं किया गया था जिसके अभाव में प्रस्तुत अनुदानो की वित्तीय स्थिति का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका। अतः भविष्य में नियमों के अनुसार रजिस्टर तैयार एवं अद्यतन (Update) करके समस्त प्राप्त अनुदान व अनुदान राशि से किये गये व्यय का लेखाकंन अनुदान रजिस्टर में करने उपरान्त अंकेक्षण सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

## 7.1 सम्पति कर/गृहकर की ₹0.05 लाख की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जानाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 34 (2) के अनुसार पंचायत को देय (due amount) कोई भी राशि पर्याप्त कारणों के बिना परादेय/बकाया (outstanding) नहीं रखी जायेगी।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/–76 दिनांकः 14/02/2024 की अनुपालना में प्रस्तुत **परिशिष्ट "3"** पर संलग्न सूचना के अनुसार सम्पत्ति कर /गृहकर की मद में ₹4900/– की राशि दिनांक 31.03.2023 को वसूली हेतु शेष थी, जिससे यह स्पष्ट है कि पंचायत अपने राजस्व की उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है ।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/77 दिनांकः 17.02.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–02 दिनांक 27.02.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि वर्तमान समय से सम्पति कर/गृहकर की वसूली की जा रही है। प्रस्तुत प्रत्युतर तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः पंचायत राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों की तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर प्रतिवर्ष नियमित रूप से की जानी सुनिश्चित की जाए तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

## 7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क राशि ₹0.05 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना :–

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या–SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अनुसार विवाह के पंजीकरण हेतु ₹200 (सामान्य) व आई.आर.डी.पी/बी.पी.एल. के लिये ₹25 पंजीकरण शुल्क व 30 दिनो के बाद 90 दिनो के भीतर ₹400(सामान्य) से व ₹50 आई.आर.डी.पी/बी.पी.एल से प्रति विवाह पंजीकरण शुल्क वसूल करके सरकारी कोष में जमा करवाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान विवाह शुल्क रजिस्टर के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट "4"** पर संलग्न सूचना के अनुसार 25 विवाह पंजीकृत किये गये थे, जिस हेतु

₹200 / 400 की दर से कोई राशि नहीं वसूली गई। जबकि उक्त वर्णित दरो के अनुसार ₹5200 वसूल किये जाने अपेक्षित थे।

उक्त वसूली न करने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग / अ0वृ0कां / 2023 / 77 दिनांकः 17 / 02 / 2024 के अन्तर्गत सचिव ग्राम पंचायत लोहारा के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–01 दिनांक 27.02.2023 द्वारा अवगत करवाया गया कि बकाया विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली करके सरकारी कोष में जमा करवा दी जायेगी।

अतः अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार उक्त देय राशि की वसूली अविलम्ब करते हुये सरकारी कोष में जमा करना सुनिश्चित की जाए तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

## 7.3 विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारेः–

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना सख्या–SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क निर्धारित दर से प्राप्त की जानी अपेक्षित है तथा जिसे समय–समय पर वसूल करने के उपरान्त विवाह पंजीकरण अधिनियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या "0235–00–800–03" में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत लोहारा द्वारा वर्ष 2021–22 व 2022–23 के दौरान निम्न विवरणानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया थाः–

| क्र0सं0 | वित्तीय स्थिति | विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि |
|---|---|---|
| 1. | 2021–22 | 600 |
| 2 | 2022–23 | 1400 |
| | **जोड़** | **2000** |

उक्त विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/77 दिनांकः 17.02.2024 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत लोहारा के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रतिउत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–01 दिनांक 27.02.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि सरकारी कोष में जमा करवा दी जाएगी।

अतः अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

## 8.1 क्रय किये गये सामान राशि ₹2.28 लाख का स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत से सम्बन्धित लेखांकन न होनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72(1) (ए.बी.सी.डी.) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किये गए भंडार का उसकी स्थायी व अस्थायी प्रकृति के अनुरूप प्रारूप 25, 26, 27 व 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत लोहारा के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 तक के दौरान की गई खरीद के वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–"5"** पर संकलित राशि ₹2,27,876/– के स्टॉक को क्रय उपरान्त स्टॉक रजिस्टरों में दर्ज नहीं किया गया था, जिससे क्रय हेतु कृत व्यय का पूर्ण अंकेक्षण संभव न हो सका।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/84 दिनांकः 26.02.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–01 दिनांक

27/02/2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि वर्तमान समय से स्टॉक प्रविष्टियां की जा रही है। प्रस्तुत उतर तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया है।

अतः क्रय किये गये सामान का इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को शीघ्रातिशीघ्र अवगत करवाया जाये व भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति को रोका जाये ।

**8.2 निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹2.10 लाख के स्टॉक का क्रय करनाः—**

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) के अन्तर्गत पंचायत द्वारा किये जाने वाले व्यय से सम्बन्धित निविदा आदि औपचारिकताएं प्रावधित हैं।

ग्राम पंचायत लोहारा के व्यय वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट—"5"** में दिए गए विवरणानुसार ₹2,10,107/— का व्यय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है।

उपरोक्त अनियमितत्ता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2023/83 दिनांकः 26/02/2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः—01 दिनांक 27/02/2024 द्वारा सूचित किया गया कि भविष्य में औपचारिकताओं को पूर्ण करके सामान क्रय किया जायेगा। प्रस्तुत प्रत्युतर तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा इसे सक्षम प्राधिकारी की कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाते हुये नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

## 8.3 खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रॉयल्टी की कटौती न करने के फलस्वरूप सरकारी कोष को ₹0.43 लाख की सम्भावित राजस्व हानिः–

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल नियम 2015 के नियम 81 व 81–ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास फॉर्म डब्लयू या सप्लीमेंटरी पास फॉर्म X उपलब्ध करवाना अनिवार्य है। अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निर्धारित दरो से रॉयल्टी का भुगतान 25 प्रतिशत पेनल्टी के साथ करना होगा।

ग्राम पंचायत द्वारा परिशिष्ट–"6" पर संलग्न चुनिन्दा वाउचरों के तहत निर्माण कार्यो के निष्पादन हेतु आपूर्तिकर्ताओं से खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रांजिट पास फॉर्म अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए थे। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को ₹42491.14 का अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/85 दिनांकः–26.02.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–01 दिनांक 27/02/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि गत समय में रॉयल्टी की राशि का कटौती नहीं की गई है, जिसकी वसूली संबंधित संविदाकार/व्यक्ति से करके सरकारी कोष में जमा करवा दी जायेगी। दिया गया उत्तर अंकेक्षणापति के अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं है। क्योंकि ट्रांजिट पास फॉर्म को उपलब्ध न करवाने की स्थिति में आपूर्तिकर्ता को खनन सामग्री की राशि का भुगतान रॉयल्टी की कटौती 25 प्रतिशत पेनल्टी सहित करने के पश्चात किया जाना अपेक्षित था।

अतः उक्त किये गये अनियमित भुगतान को या तो नियमानुसार समर्थित अभिलेख सहित न्यायोचित ठहराया जाये अथवा इस मामले हेतु सम्बन्धित विभाग से पत्राचार कर तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके हिमाचल प्रदेश सरकार के आय लेखा शीर्षक "0853" नॉन फैरस माइनिंग एवं

मेटोलोजिकल इंडस्ट्रीज उप–शीर्ष ''102'' मिनरल कन्सेशन फीस किराया एवं रॉयल्टीस ''81''खनिज फीस रियायत आदि में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये। पूर्वोक्त मामलों के अतिरिक्त अंकेक्षण अवधि में क्रय की गई निर्माण सामग्री हेतु रॉयल्टी की राशि की संस्था/विभागीय स्तर पर समुचित गणना कर उसकी भी वसूली उचित स्त्रोत से करके कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

**9 ₹7.93 लाख के निर्माण कार्यो की माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करने बारेः–**

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 79(2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

अकेक्षण के दौरान चयनित माह के व्यय वाउचरों के अवलोकन पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार राशि ₹7,93,327/– के निर्माण कार्यो की माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे किये गये व्यय पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सकाः–

| क्र0 सं0 | अनुदान | वाउचर संख्या/दिनांक | निर्माण कार्य का नाम | राशि (₹) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14वां वित | 03/30.03.22 | निर्माण चिल्ड्रन पार्क व मूलभुत सुविधाएं गांव लोहारा वार्ड–7 | 152000 |
| 2 | मनरेगा | 66,72,73,13–16/ 09.03.22,19.03. 22,17.05.22 | नि0 जीपेवल रोड और कॉजवे कार्य लिंक रोड से सुदर्शन सिंह बगैरा के घर तक गांव गोली | 218990 |
| 3 | मनरेगा | 68,5,6/09.03. 22,17.05.22 | निर्माण जीप रास्ता अजय विजय के घर से खड तक गांव भेरता | 89504 |
| 4 | मनरेगा | 71/09.03.22 | निर्माण वाटरटेंक हुकुम चन्द गोली | 18270 |
| 5 | वी.के.वी. एन.वाई | 01/10.05.22 | निर्माण रास्ता व नालियां जगदीश के घर से लेकर अरूण कुमार के घर तक | 54900 |
| 6 | 15वां वित | 01,2/12.05.22 | निर्माण रास्ता व कॉजवे कार्य लिंक रोड से | 84451 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | जोगिन्द्र सिंह,प्रवीन बगैरा के घर तक | |
| 7 | 15वां वित | 02 / 12.05.22 | निर्माण जीपयोग्य रास्ता व नालिया नजदीक पंजपीरी गोली | 24129 |
| 8 | 15वां वित | 02 / 12.05.22 | निर्माण जीप योग्य रास्ता व नाली लिंक रोड से लेकर करनैल,रंजन बगैरा के घर तक | 15512 |
| 9 | 15वां वित | 02 / 12.05.22 | निर्माण जीप योग्य रास्ता कुलदीप सिंह बगैरा के घर से कैप्टन जगदीश के घर तक | 43088 |
| 10 | मनरेगा | 07,8 / 17.05.22 | निर्माण जीप योग्य रास्ता करनैल सिंह बगैरा के घर से लिंक रोड तक गांव बंधवां | 92483 |
| | | | **कुल योग** | **793327** |

उक्त निर्माण कार्यो की माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे सचिव ग्राम पंचायत लोहारा से अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग / अ0वृ0का / 2024 / 88 दिनांकः 27 / 02 / 2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–01 दिनांक 27 / 02 / 2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि आगामी अंकेक्षण में माप पुस्तिकाओं को प्रस्तुत कर दिया जायेगा। प्रस्तुत प्रत्युतर तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया। अतः संबंधित माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत न कर पाने का औचित्य स्पष्ट करते हुये अपेक्षित अभिलेख हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 101 (2) (iii) की अनुपालना सहित अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये।

**10 राशि ₹3.80 लाख के निर्माण कार्यो से संबन्धित स्वीकृति / कार्य आदेश, प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति प्रस्तुत न करने बारेः–**

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधानं व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94, 95 व 101 के अनुसार किसी भी विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति व प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता।

ग्राम पंचायत लोहारा के नमूना अकेक्षण के दौरान पाया गया निम्न विवरणानुसार कनिष्ठ अभियन्ता स्तर पर करवाए गए निर्माण कार्यो के प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, कार्य आदेश, प्राक्कलन इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए थे, जिसके अभाव मे उक्त कर्मचारी के स्तर पर किये गये कार्यो व उसमें प्रयुक्त सामग्री/लेबर के व्यय खपत की सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी।

| क.स. | अवधि | अनुदान | निर्माण कार्य | स्वीकृत राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2021–22 | 14वां वित | निर्माण चिल्ड्रन पार्क व मूलभुत सुविधाएं गांव लोहारा वार्ड–7 | 380000 |

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/88 दिनांकः–27.02.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युतर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–01 दिनांक 27/02/2024 द्वारा सूचित किया कि उक्त अभिलेखो को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा। प्रस्तुत प्रत्युतर तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया। अतः इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाय

## 10 निर्माण कार्यों से सम्बन्धित विसंगतियांः–

निर्माण कार्यों से सम्बन्धित चयनित मास वाउचर नस्तियों में उपलब्ध बिल/वाउचरों की नमूना अंकेक्षण जाँच उपरान्त तथा पैरा संख्या ''9'' दिखाये गये व्यय के अनुसार निर्माण कार्यो के सन्दर्भ में पाया गया कि निर्माण कार्य निष्पादन हेतु हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित्त बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 में प्रावधित नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही है। इन बिलों में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैं:–

1. नियम 96(1) की अनुपालना में अनुभागी/संकर्म समिति नहीं बनाई गई थी जिसके साथ निर्धारित समयावधि के भीतर कार्य निष्पादन हेतु पंचायत द्वारा उक्त नियमावली के **''परिशिष्ट –ई''** में दिए गए ''अनुबन्ध'' प्रारूप में अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित था।

2. हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के उप नियम 93 (1) (ए) के अनुसार ग्राम पंचायत को प्रत्येक निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु सहभागी समिति का गठन करना अनिवार्य है ताकि निर्माण कार्यो में पारदर्शिता स्थापित की जा सके। अंकेक्षण अवधि के अंतर्गत ग्राम पंचायत लोहारा द्वारा निर्माण कार्यो के निष्पादन हेतु सहभागी समिति का गठन नहीं किया गया व सभी कार्य सहभागी समिति के अनुमोदन के बिना स्वंय करवाए गए है, जोकि पंचायती राज अधिनियम 2002 के अध्याय– ग्यारह के उप नियम 93 की अवहेलना है।

3. नियम 104(2)(1) तथा 105 की अनुपालना में निर्माण कार्यों की नमूना जाँच मापन पुस्तिका में सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, आदि द्वारा नहीं की गई थी।

4. किसी भी योजना में निर्माण सामग्री आपूर्ती के बिलों को कनिष्ठ अभियन्ता/तकनीकी सहायक द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था जिसके कारण किये गये भुगतान की प्रमाणिकता संदिग्ध हो जाती है।

5. निर्माण कार्यो के बिलो के भुगतान के समय पंचायत द्वारा नियमानुसार टी.डी.एस, रॉयल्टी की अपेक्षित कटौती नहीं की थी।

इन अनियमितताओ बारे अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/88 दिनांकः 27.02.2024 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत लोहारा को अवगत करवाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–01 दिनांक 27/02/2024 द्वारा सूचित किया गया कि वतर्मान समय से इन नियमो की अनुपालना की जा रही है।

अतः उपरोक्त नियमों की अवहेलना किये जाने बारे उचित स्पष्टीकरण के अतिरिक्त भविष्य हेतु नियमानुसार कार्य करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

## 11 नियमों की अवहेलना करते हुए महत्वपूर्ण अभिलेखो का अनुरक्षण न करनाः—

हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि॰प्र॰ पंचायती राज सामान्य नियम 34 के अंर्तगत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/76 दिनांकः 14.02.2024 के क्रमांक 9 में मांगी गई जानकारी के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव कार्यालय पत्र संख्याः—01 दिनांक 27/02/2024 द्वारा दी गई सूचना तथा पंचायत के लेखों की नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न रजिस्टर/अभिलेखो का पंचायत द्वारा अनुरक्षण नहीं किया गया था अथवा अनुरक्षण में नियमों की अवहेलना की गई थी, जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः—

| क्र0 | रजिस्टर/अभिलेख | फॉर्म संख्या | सन्दर्भित नियम |
|---|---|---|---|
| 1. | निवेश रजिस्टर | 01 | 12 |
| 2. | वर्गीकृत सार | 8 | 29(4) |
| 3. | अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर | 09 | 30 |
| 4. | मासिक बैंक समाधान विवरणी | —— | 7(3) एवं 10(1) तथा "प्रारूप—5" के आरम्भ में दी गई टिप्पणी |
| 5 | वार्षिक बजट नियमों की अवहेलना करते हुये पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में ही दर्ज किया गया है। | 11 | 37 |
| 6 | अनुदान रजिस्टर | 21 | 61(1) |
| 7 | डाक टिकट रजिस्टर | 24 | 61(2) |
| 8 | निर्माण कार्य रजिस्टर | ....... | 103 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9 | स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर | 25 व 26 | 72 (1) ए बी |
| 10 | पंचायत प्रतिनिधियों एवं सहायक कर्मचारियों को दिये जाने वाले मानदेय/वेतन का रजिस्टर | ........ | ............ |
| 11 | निर्माण कार्यों की खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृतियों का रजिस्टर | 31 | 95(1) |

उपरोक्त महत्वपूर्ण अभिलेख को अनुरक्षित न किए जाने अथवा अनुरक्षण में नियमों की पूर्ण पालना न करने बारे वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने के अतिरिक्त अब प्राथमिकता के आधार पर इस अभिलेख का अनुरक्षण किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

## 12. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना:–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा नियमानुसार कभी भी प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था। जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका।

अतः समय–समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। यह एक गम्भीर अनियमितता है।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/–76 दिनांक: 14.02.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या:–01 दिनांक

27/02/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा। प्रस्तुत प्रत्युतर तथ्य रहित होने के कारण तर्कसंगत नहीं है।

अतः इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

**अन्य विविध अंकेक्षण आपतियांः–**

**13.1 रसीद बुको का स्टॉक नियमानुसार न रखा जानाः–**

रसीद बुको के स्टॉक की अंकेक्षण दौरान पाया गया कि इसे हि0प्र0 पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 5 (5) के प्रावधानो के अनुसार नहीं रखा जा रहा है। इस नियम के अनुसार जिला पंचायत अधिकारी से प्राप्त खाली रसीद बुको का अभिलेखन सामान्य स्टॉक रजिस्टर से अलग हि0प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 में प्रावधित फॉर्म–2 में रसीदो के स्टॉक रजिस्टर में रखा जायेगा। इसके अतिरिक्त हि0प्र0 पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 13 (5) के अनुसार पंचायत सचिव का यह वैधानिक दायित्व है कि वह जिला पंचायत अधिकारी द्वारा प्राधिकृत/खाली रसीदो को प्राप्त करते समय तथा उपयोग हेतु जारी करने का अभिलेख प्रारूप–4 के अनुसार बनाए गये स्टॉक रजिस्टर में रखे।

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान इस प्रकार का कोई अभिलेख तैयार नहीं किया गया था, जिस कारण से अंकेक्षण अवधि के दौरान खरीदी गयी तथा प्रयोग की गई रसीदो का न तो संकलित विवरण तैयार किया जा सका तथा न ही अंकेक्षण जॉच संभव हो पाई है। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण अवधि के दौरान लेखांकित की गई आय भी रसीदो के अभिलेख के अभाव में संदिग्ध हो जाती है। अतः इस अनियमितता के बारे में तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के अतिरिक्त इस अवधि के दौरान खरीदी गई रसीदो का अभिलेख पंचायत अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके इनके प्रयोग का विवरण तैयार करना सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

14 **लघु आपति विवरणिकाः—** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

15 **निष्कर्षः—** लेखों के रख रखाव में हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियमों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही है जिस कारण से लेखाओं के रखरखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला—171009
दूरभाष—0177—2620046

10 JUN 2024

2476-2480 का0/50

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)89/2017—खण्ड—1 दिनाँक, शिमला—09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला—4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड फतेहपुर जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।
पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत लोहारा, विकास खण्ड फतेहपुर, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

JUN 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला—171009
दूरभाष—0177—2620046

का0/50

# ANNEXURE -1 "पैरा संख्या – 4.1(क)"

## FINANCIAL POSITION OF GP LOHARA FOR THE YEAR 2021-22 & 2022-23

**1 OWN SOURCES**

| YEAR | OPENING BALANCE | RECEIPT DURING YEAR | TOTAL | EXPENDITURE | CLOSING BALANCE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | 381974.50 | 869324.00 | 1251298.50 | 288720.00 | 962578.50 |
| 2022-23 | 962578.50 | 854982.00 | 1817560.50 | 733390.00 | 1084170.50 |

**2 GRANTS-IN-AID**

| YEAR | OPENING BALANCE | RECEIPT DURING YEAR | TOTAL | EXPENDITURE | CLOSING BALANCE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | 956821.78 | 1992104.00 | 2948925.78 | 1078449.78 | 1870476.00 |
| 2022-23 | 1870476.00 | 6159199.50 | 8029675.50 | 5296543.50 | 2733132.00 |

Secretary
Gram Panchayat, LOHARA
Dev Block Fatehpur Kangra (H.P)

25

## ANNEXURE -2 "पैरा संख्या 6-1"

FINANCIAL POSITION OF GRANTS- IN- AID OF GP LOHARA FOR THE YEAR 2021-22 & 2022-23

| SR.NO | PARTICULARS | YEAR | OPENING BALANCE | RECEIPT DURING YEAR | TOTAL | EXPENDITURE | CLOSING BALANCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MPLAD | 2021-22 | 8536.00 | 260.00 | 8796.00 | 0.00 | 8796.00 |
| | | 2022-23 | 8796.00 | 251.00 | 9047.00 | 0.00 | 9047.00 |
| 2 | TSC | 2021-22 | 5480.00 | 79.00 | 5559.00 | 5521.00 | 38.00 |
| | | 2022-23 | 38.00 | 0.00 | 38.00 | 38.00 | 0.00 |
| 3 | VKVNY | 2021-22 | 3700.00 | 300112.00 | 303812.00 | 27576.00 | 276236.00 |
| | | 2022-23 | 276236.00 | 1175143.00 | 1451379.00 | 1167171.00 | 284208.00 |
| 4 | SDP | 2021-22 | 45723.00 | 1492.00 | 47215.00 | 0.00 | 47215.00 |
| | | 2022-23 | 47215.00 | 1347.00 | 48562.00 | 0.00 | 48562.00 |
| 5 | GRDY | 2021-22 | 1818.00 | 27.00 | 1845.00 | 1832.00 | 13.00 |
| | | 2022-23 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 13.00 |
| 6 | 13TH FC | 2021-22 | 58366.00 | 977.00 | 59343.00 | 59343.00 | 0.00 |
| | | 2022-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 14TH FC | 2021-22 | 377701.78 | 12105.00 | 389806.78 | 161806.78 | 228000.00 |
| | | 2022-23 | 228000.00 | 4962.00 | 232962.00 | 232962.00 | 0.00 |
| 8 | 15TH FC | 2021-22 | 455497.00 | 985528.00 | 1441025.00 | 130847.00 | 1310178.00 |
| | | 2022-23 | 1310178.00 | 1700282.00 | 3010460.00 | 619158.00 | 2391302.00 |
| 9 | MNREGA | 2021-22 | 0.00 | 691524.00 | 691524.00 | 691524.00 | 0.00 |
| | | 2022-23 | 0.00 | 3277214.50 | 3277214.50 | 3277214.50 | 0.00 |

(परिशिष्ट – 3" पैरा संख्या – 7.1")

# कार्यालय ग्राम पंचायत लोहारा,विकास खण्ड फतेहपुर,जिला काँगड़ा हि0प्र0176053

दिनांक 31–03–2023 को ग्राम पंचायत में वसूली हेतु शेष सम्पति कर/गृहकरः–

पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्याः 2021–22 में 585 तथा 2022–23 में 627 परिवारों का रु 50/– प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर से:–

| वितीय वर्ष | अथशेष | परिवार | गृहकर वार्षिक दर | मांग | योग | प्राप्ति | वसूली हेतु शेष राशि ₹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | 56550 | 585 | 50 | 29250 | 85800 | 85800 | 0 |
| 2022-23 | 0 | 627 | 50 | 31350 | 31350 | 26450 | 4900 |
| | नोटः– दिनाँक 31.03.2023 को बकाया सम्पति कर/गृहकर की राशि ₹4900/– है। | | | | | | |

परिशिष्ट " 4 "

**ग्राम पंचायत लोहारा , विकास खण्ड फतेहपुर, विवाह पंजीकरण शुल्क दिनांक 31-03-2023 तक वसूली हेतु शेष (पैरा संख्या " 7.2 " में संदर्भित)**

| क्र० सं० | नाम | विवाह शुल्क रजि0पृ0स0 | विवाह की तिथि | पंजीकरण तिथि | वसूली योग्य राशि | वसूली गई राशि | कम वसूली गई राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | जसपाल सिंह | 37 | 30.04.2021 | 10.05.2021 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 2 | मुकेश कुमार | 37 | 26.04.2021 | 10.05.2021 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 3 | अवतार सिंह | 38 | 08.05.2021 | 25.05.2021 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 4 | पंकज सिंह | 39 | 24.05.2021 | 21.06.2021 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 5 | सुनील कुमार | 39 | 06.06.2021 | 25.06.2021 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 6 | विक्रम सिंह | 40 | 20.10.2021 | 25.10.2021 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 7 | रोहित शर्मा | 43 | 30.11.2021 | 10.12.2021 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 8 | अमित कुमार | 44 | 06.12.2021 | 14.12.2021 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 9 | लक्की | 45 | 01.12.2021 | 18.12.2021 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 10 | अकुंश पठानियां | 45 | 06.12.2021 | 20.12.2021 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 11 | पंकज कुमार | 46 | 12.12.2021 | 20.12.2021 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 12 | जोगिन्द्र सिंह | 49 | 14.04.2022 | 19.04.2022 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 13 | अमित कुमार | 50 | 09.05.2022 | 25.05.2022 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 14 | अमृत सिंह | 51 | 09.07.2022 | 22.07.2022 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 15 | अमित | 52 | 27.09.2022 | 14.10.2022 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 16 | रोहित पठानियां | 52 | 27.09.2022 | 14.10.2022 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 17 | विवेक पठानिया | 53 | निल | 17.12.2022 | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 18 | रजिन्द्र कुमार | 54 | 04.12.2022 | 21.12.2022 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 19 | रोहित कुमार | 55 | 09.12.2022 | 07.01.2023 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 20 | अक्षय कुमार | 55 | 28.01.2023 | 04.02.2023 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 21 | नीरज कुमार | 56 | 15.01.2023 | 04.02.2023 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 22 | रवि चौधरी | 57 | 25.01.2023 | 16.02.2023 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 23 | अंकुश गुलेरिया | 57 | 16.02.2023 | 01.03.2023 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 24 | संजय कुमार | 58 | 15.02.2023 | 06.03.2023 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 25 | अंकु वाधा | 58 | 22.02.2023 | 06.03.2023 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| | | | | कुल | ₹ 5,200.00 | ₹ 0.00 | ₹ 5,200.00 |

Secretary
Gram Panchayat, LOHARA
Dev Block Fatehpur Kangra (H.P.)

परिशिष्ट–" 5 "

ग्राम पंचायत लोहारा विकास खण्ड फतेहपुर, जिला कांगडा हिमाचल प्रदेश ,स्टॉक/स्टोर की कय की गई सामग्री की प्रविष्टियां भंडार पुस्तिकाओं में न करना व औपचारिकताओं को पूर्ण किये विना स्टॉक/स्टोर कय करना। पैरा संख्या–"9.2" में संदर्भित।

| अनुदान | वो.स. /दिनांक | समाग्री का विवरण | विल.स. /दिनांक | आपूर्तिकर्ता | मात्रा | रेट | राशि ₹ | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Own Source | 16/08.03.22 | Stationary | 910/01.03.2022 | M/S Bidhi Chand Book Depot Store Fatehpur | — | — | 4000 | स्टॉक प्रविष्टि व निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई |
| 2. Own Source | 21/16.03.2022 | PP Kit Sanitizer | 67/05.03.2022 | M/S Mahadev Enterprizes Tehsil Road Fatehpur | — | — | 20000 | स्टॉक प्रविष्टि व निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई |
| 3.VKVNY | 01/14.03.2022 | Cement Bag | 13468/22.03.2022 | H.P Civil Supply Fatehpur | 80 | 344.7 | 27576 | स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई |
| 4.14th FC | 01/29.03.2022 | Grocery | 122/20.03.2022 | M/S Sharma Plastic Gift Centre Hara Fatehpur | — | — | 6507 | निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई |
| 5.14TH FC | 02/29.03.2022 | Induction | 555/25.03.2022 | M/S Thakur Electronics Tehsil Road Fatehpur | — | — | 3300 | निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई |
| 6.14TH FC | 03/30.03.2022 | Earth/Filling Material | 61/28.03.2022 | M/S Kulwant Singh Dakiara Fatehpur | 400Cu3 | 380 | 152000 | स्टॉक प्रविष्टि व निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई |
| 7.MGNREGA | 22-30/30.05.2022 | Sign Board | 1138,1136,1135,1134,1131-33,1127/Nil,17.11.21,10.11.21 | M/S Bharat Enterprises Bahadarpur | 9 | 2700 | 24300 | स्टॉक प्रविष्टि व एक निविदाँ प्रस्तुत की गई |
| | | | | | | G/Total | 237683 | |

नोट:–1.क्रम संख्या 1 से 3, व 4, 5 की स्टॉक प्रविष्टियां नहीं दिखाई गई।
2.क्रम संख्या 1, 2, व 4 से 7 तक की निविदाओं को प्रस्तुत नहीं किया गया।

Secretary
Gram Panchayat, LOHARA
Dev Block Fatehpur Kangra (H.P.)

परिशिष्ट–6

ग्राम पंचायत लोहारा खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रायल्टी की कटौती न करने से राजस्व हानि (पैरा संख्या–"13" के सन्दर्भ में)

| Name of Supplier | Vr. No. & Date | Bill No. & Date | Name of Item | Qty. (cum) | Determining Fator | Qty. (in MT.) | Royality (Per MT.) | Due Royality |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.MNREGA | | | | | | | | |
| M/s Kulwant Singh Dakiara Fatehpur | 05/17.05.2022 | 59/17.02.2022 | Sand | 14.990 | 1.62 | 24.284 | 80 | 1942.70 |
| | | | Bajri | 7.250 | 1.52 | 11.020 | 80 | 881.60 |
| do | 06/17.05.2022 | 66/20.02.2022 | Bajri | 8.250 | 1.52 | 12.540 | 80 | 1003.20 |
| | | | Stone | 6.000 | 2.24 | 13.440 | 80 | 1075.20 |
| do | 07/17.05.2022 | 67/20.03.2022 | Sand | 20.860 | 1.62 | 33.793 | 80 | 2703.46 |
| | | | Stone | 7.000 | 2.24 | 15.680 | 80 | 1254.40 |
| do | 08/17.05.2022 | 68/21.03.2022 | Bajri | 21.700 | 1.52 | 32.984 | 80 | 2638.72 |
| do | 09/17.05.2022 | 51/14.02.2022 | Sand | 7.000 | 1.62 | 11.340 | 80 | 907.20 |
| | | | Bajri | 8.000 | 1.52 | 12.160 | 80 | 972.80 |
| do | 11/17.05.2022 | 69/20.02.2022 | Sand | 15.070 | 1.62 | 24.413 | 80 | 1953.07 |
| | | | Bajri | 8.840 | 1.52 | 13.4368 | 80 | 1074.94 |
| do | 12/17.05.2022 | 70/21.02.2022 | Bajri | 6.000 | 1.52 | 9.120 | 80 | 729.60 |
| | | | Stone | 18.000 | 2.24 | 40.320 | 80 | 3225.60 |
| do | 14/17.05.2022 | 62/18.02.2022 | Sand | 22.570 | 1.62 | 36.563 | 80 | 2925.07 |
| do | 15/17.05.2022 | 63/19.02.2022 | Bajri | 25.850 | 1.52 | 39.292 | 80 | 3143.36 |
| do | 16/17.05.2022 | 65/27.02.2022 | Bajri | 11.410 | 1.52 | 17.343 | 80 | 1387.46 |
| | | | Stone | 11.000 | 2.24 | 24.640 | 80 | 1971.20 |
| do | 17/17.05.2022 | 74/21.03.2022 | Sand | 4.000 | 1.62 | 6.480 | 80 | 518.40 |
| | | | Bajri | 4.860 | 1.52 | 7.387 | 80 | 590.98 |
| do | 18/17.05.2022 | 72/21.03.2022 | Sand | 4.000 | 1.62 | 6.480 | 80 | 518.40 |
| | | | Bajri | 4.860 | 1.52 | 7.387 | 80 | 590.98 |
| do | 19/17.05.2022 | 71/05.03.2022 | Sand | 3.000 | 1.62 | 4.860 | 80 | 388.80 |
| | | | Bajri | 4.000 | 1.52 | 6.080 | 80 | 486.40 |
| do | 20/1/17.05.2022 | 73/21.03.2022 | Sand | 4.000 | 1.62 | 6.480 | 80 | 518.40 |
| | | | Bajri | 4.860 | 1.52 | 7.387 | 80 | 590.98 |
| | | | | | | | Total | 33992.91 |
| | | | | | | | 25% Penalty | 8498.23 |
| | | | | | | | G.Total | 42491.14 |

Secretary
Gram Panchayat LOHARA
Dev Block Fatehpur Kangra (H.P.)